न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 21/2011
निर्णय दिनांकः 17/03/2020

1. छीतरमल पुत्र बिरधा
2. बंशीधर पुत्र बिरधा
   समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. जगदीश पुत्र चुन्नीलाल जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
2. रामनाथ पुत्र मांगू
3. रामसहाय पुत्र चुन्नीलाल
4. मु. गैन्दी बेवा देवा
5. चौथूराम पुत्र देवा
6. मदन लाल पुत्र देवा
7. प्रभुदयाल पुत्र देवा
8. प्रभु पुत्र जगन्नाथ
9. प्रभात पुत्र त्रिलोका
10. नानू पुत्र त्रिलोका
11. ग्यारसीलल पुत्र रूपा
12. केसरदेव पुत्र रूपा
13. रामेश्वर पुत्र रूपा
14. श्रवण कुमार पुत्र स्व. रामलाल
15. ओम प्रकाश पुत्र स्व. रामलाल
16. ललित पवन पुत्र स्व. रामलाल
17. सांवरमल पुत्र स्व. रामलाल
    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
18. प्रेम पुत्री रामलाल बागडा ब्राहम्ण, निवासीः आष्टीकलां, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
19. सोनी पुत्री रामलाल बागडा ब्राहम्ण, निवासीः विमलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
20. भगवान सहाय पुत्र स्वर्गीय गंगाराम
21. बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय गंगाराम
22. राम गोपाल पुत्र स्वर्गीय गंगाराम
23. नाथी बेवा गंगाराम
    समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासीः विमलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
24. हनुमान दत्तक पुत्र देवा
25. मालू पुत्र भूरा
26. बाबूलाल पुत्र भूरा
27. नानू पुत्र भूरा
28. कैलाश पुत्र भूरा
29. श्रवण पुत्र भूरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

30. छीतर पुत्र भूरा
31. बंशी
32. हनुमान पुत्र कुशला
33. हमना देवी पत्नि चौथू
34. सुशीला बेवा सांवरा
35. मनीष पुत्र सांवरा
36. राकेश पुत्र सांवरा
37. कु. पूजा पुत्री सांवरा
38. गणपत पुत्र स्व. चौथूराम
39. जगदीश पुत्र स्व. चौथूराम
40. बंशी पुत्र स्व. चौथूराम
41. बंशी पुत्र स्व. चौथूराम
42. राजू पुत्र चौथूराम
43. पप्पू पुत्र चौथूराम
44. श्रवण पुत्र चौथूराम
45. लाला पुत्र स्वर्गीय चौथू
46. रामसहाय पुत्र स्वर्गीय चौथू
47. रामू पुत्र भूरा
48. मालू पुत्र मंगला
49. जगदीश पुत्र मंगला
50. आंची बेवा मंगला
51. प्रेम पत्नि स्व. मालू पुत्रवधू
52. बाबूलाल
53. बोदूराम (नवरत्न)
54. गट्टूराम (रामकिशन)
55. गुड्डी (अनिता पुत्री मालू)
56. मंगला
57. प्रभात
58. नानू
59. नाथी बेवा ग्यारसीलाल
60. कजोड पुत्र ग्यारसीलाल
61. बनवारी पुत्र ग्यारसीलाल
62. ओमप्रकाश पुत्र रामनाथ
63. दामोदर पुत्र रामनाथ
64. राजेन्द्र पुत्र रामनाथ
65. लालचन्द पुत्र रामनाथ
    समस्त जाति बागडा ब्राह्मण, निवासीः ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
66. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
67. चूनिया पुत्र बालू
68. मंजू पुत्री मालू बागडा ब्राह्मण, निवासीः जयसिंहपुरा, गुवारडी, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर वाद संख्या 204/1988 उनवानी जगदीश बनाम रामनाथ व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

–: निर्णय :–

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर के वाद संख्या 204/1988 बउनवानी जगदीश बनाम रामनाथ में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 07.10.2010 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमू जिला जयपुर में वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 117, 135, 139, 140, 141, 157,158, 159, 160, 164, 165, 167, 168, 169, 273, 274, 275, 276, 292, 293, 294, 295, 313, 314, 320, 321, 322, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 433, 434, 280/879 एवं 280/945 कुल किता 44 कुल रकबा 36.61 हैक्टेयर जिसमें वादी का 1/32 वां हिस्सा व प्रतिवादी नंबर 2 का 1/32 वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/16 वां हिस्सा था। प्रतिवादी नंबर एक वादी का चाचा है व प्रतिवादी नंबर 2 वादी का सगा भाई है। प्रतिवादी नंबर एक व दो ने उक्त आराजी के अपने संपूर्ण हिस्से को वादी के पक्ष में त्याग कर दिया। इस बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने वादी के पक्ष में दिनांक 09.09.1987 को तहसील कार्यालय चौमू में रिलीज डीड करवा दी और अपने अधिकारों को पूर्ण रूपेण त्याग कर दिया, इसकी एवज में वादी ने अपनी अन्य आराजीयात की रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में करवा दी तब से वादी उक्त आराजी मुतनाजा पर प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काबिज है। इस प्रकार वादी उक्त आराजी मुतनाजा के प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से व वादी के हिस्से 1/32 इस प्रकार उक्त आराजी के कुल रकबे के हिस्से 1/8 भाग पर काबिज है और कानूनन उक्त आराजी के 1/8 भाग का खातेदार काश्तकार है व लगान सरकार में जमा करवाता है। प्रतिवादी संख्या 7, 8 स्वर्गीय त्रिलोका के पुत्र है त्रिलोका का स्वर्गवास करीब 10 वर्ष पूर्व हो गया व नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के पक्ष में खुल चुका है व प्रतिवादी नंबर 16 हनुमान दत्तक पुत्र देवा उक्त आराजी के 1/16 भाग का खातेदार काश्तकार है लेकिन प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 21 ने उक्त आराजी में हनुमान के हिस्से का नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया जबकि 1/16 भाग पर हनुमान काबिज है व 1/16 भाग पर प्रतिवादी संख्या 17 लगायत 21 काबिज है व प्रतिवादी संख्या 22 लगायत 24 स्वर्गीय बिरदा के उत्तराधिकारी है जिनका उक्त आराजी में 1/8 वां हिस्सा है एवं अन्य प्रतिवादीगण जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने हिस्से 1/16 व प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हिस्से 1/32 की विवादित आराजी की मौके पर वादी का पूर्व से ही वास्तविक कब्जा होने से दिनांक 09.09.1987 को रिलीज डीड सब रजिस्ट्रार के समक्ष वादी के पक्ष में निष्पादित करा दिया, बरबराये हुज्जत वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपनी आराजीयात का विक्रय पत्र इस आराजी के बदले बिना प्रतिफल लिये तस्दीक करा दिया जिसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त विवादित आराजी के अपने 1/16 हिस्से को बिना अधिकार व गैर कानूनी रूप से नुमाईशी विक्रय पत्र दिनांक 10.10.1988 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम विक्रय कर दी, उक्त विक्रय पत्र विवादित आराजी अधिकार हीन व्यक्तियों द्वारा नुमाईशी व मनमाने ढंग से वर्णन उल्लेखित कर

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

निष्पादित किया गया है। प्रतिवादी प्रभावशाली व्यक्ति है जिस कारण विक्रय पत्र का नामान्तकरण भी बिना वैधानिक कार्यवाही कराये अपने नाम नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 13.10.1988 को तस्दीक करा लिया है जो भी वादी के अधिकारों के विरूद्व गैर कानूनी व बेअसर है। फर्जी व नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 14 व 15 बसाज प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उक्त आराजी मुतनाजा जिसमें कि वादी का वर्तमान में 1/8 वां हिस्सा है, से वादी को बेदखल करने की कुचेष्ठा में है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी पर निष्पादन कर्ताओं द्वारा तथाकथित क्रेताओं को वास्तविक स्थल पर कब्जा नहीं दिया गया है उक्त अधिकार हीन विक्रय पत्र द्वारा उक्त क्रेतागण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। उक्त अधिकार हीन विक्रय पत्र बाबत विवादित आराजी बमुकाबले वादी क्लेदम व बेअसर है तथा एबेनिशियो नल एण्ड वोईड है इससे वादी के अधिकार समाप्त नहीं होते है। वादी को हक व अधिकार हासिल है कि अपने हिस्से 1/8 हिस्से की भूमि का उपयोग निर्बाध व स्वछन्द रूप से करे, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 39 को कोई अधिकार नहीं है कि वे वादी को उक्त आराजी के 1/8 भाग से बेदखल करे व वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदाहखत पैदा करे व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को कोई अधिकार नहीं है कि वे दिनांक 10.10.1988 के फर्जी व नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर खुले नामान्तकरण संख्या 192 के आधार पर उक्त आराजी का बेचान व हस्तान्तरण व गिरवी किसी दीगर शख्स को करे। इस कारण वादी को अपने खातेदारी अधिकारों के रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के हिस्से जिसका कि प्रतिवादीगण नंबर 1 व 2 ने वादी के हक में दिनांक 09.09.1987 को रिलीज डीड करवाई, उसका एकमात्र खातेदार काश्तकार है। घोषणा इस आशय की जावे कि प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के पक्ष में दिनांक 10.10.1988 को बिना प्रतिफल लिये व बिना अधिकार के फर्जी रूप से जो विक्रय पत्र करवाया है, वह वादी के अधिकारों के विरूद्व क्लेदम व बेअसर है और विक्रय पत्र को वादी के अधिकारों पर कोई किसी प्रकार विपरीत प्रभाव नहीं पडता है व उक्त विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नंबर 14 व 15 ने बिना कब्जे प्राप्त किये जो नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 13.10.1988 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी चौमू ने खोला है, वह वादी के अधिकारों के विरूद्व क्लेदम व बेअसर है व उक्त नामान्तकरण के आधार पर प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। घोषणा अनुसार वादी को उक्त आराजी जो वाद पत्र में वर्णित है, में प्रतिवादी नंबर 1 के हिस्से 1/16 व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से 1/32 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल करवाया जावे। वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा किया जाकर लगान पर्चा कायम किया जावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 07.10.2010 के माध्यम से वादी का वाद स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने

राजस्व अपील अधिकारी
जयपुर

Scanned with CamScanner

पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रदत्त हक हिस्से के संबंध में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा में आपत्ति, इंकार या हिस्सा गलत दिया जाना नहीं बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय के माध्यम से प्रदान किये गये हक हिस्से से पूर्णतः सहमत है। प्राथमिक डिक्री के माध्यम से खातेदारान के मात्र हक हिस्से ही तय किये जाते है। अपीलान्ट द्वारा अपील में हक हिस्से संबंधी कोई उज्र भी प्रस्तुत नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री करने के साथ–साथ उसी दिवस उसी निर्णय में पूर्व में प्रेषित कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान को कुरैजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एवं आपत्ति ग्रहण किये बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्व जाकर गलत रूप से अंतिम निर्णय डिक्री पारित की गई है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2010 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों पर गौर कर तनकी विरचित कर साक्ष्य सबूत व गवाहान के बयानात के आधार तनकीवार निर्णय पारित कर पक्षकारान के मध्य आराजीयात का विधिवत तकासमा किया है। अपीलान्ट ने मात्र प्रकरण में देरी करने के उद्देश्य से यह आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण न्यायहित में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया कि वादी द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के बाबत एक वाद अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.10.2010 के माध्यम से डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजीयात है। वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात में घोषणा, दुरूस्ती एवं विभाजन के बाबत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के मध्य घोषणा के संबंध में एक राजीनामा दिनांक 23.12.2005 के आधार पर घोषणा एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन को दुरूस्त कर घोषणा एवं दुरूस्ती के अनुतोष को निस्तारित करते हुये निर्णय दिनांक 17.04.2006 के माध्यम से वाद में प्राथमिक निर्णय डिक्री जारी की गई। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.11.2006 के माध्यम से वाद के विभाजन के संबंध में जारी प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 17.04.2006 को निरस्त कर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के निर्देशानुसार संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुये दावा व जवाबदावा के आधार पर तनकी विरचित कर, उभयपक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर, निर्णय दिनांक 07.10.2010 को तनकीवार निर्णय पारित किया गया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित कर वादी का वाद डिक्री किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से प्रदत्त हक हिस्से के संबंध में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील में एवं अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाबदावा में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

आपत्ति, इंकार या हिस्सा गलत दिया जाना नहीं बताया गया है जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय के माध्यम से प्रदान किये गये हक हिस्से से पूर्णतः सहमत है। प्राथमिक डिक्री के माध्यम से खातेदारान के मात्र हक हिस्से ही तय किये जाते है। अपीलान्ट द्वारा अपील में हक हिस्से संबंधी कोई उज्र भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि प्राथमिक डिक्री में कोई अनियमितता कारित करते हुये त्रुटिपूर्ण व विधि विरूद्व डिक्री पारित की गई हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री करने के साथ–साथ उसी दिवस उसी निर्णय में पूर्व में प्रेषित कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान को कुरैजात पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना ही एवं आपत्ति ग्रहण किये बिना ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्व जाकर गलत रूप से अंतिम निर्णय डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट को देखने से स्पष्ट है कि कुरैजात पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि कुरैजात रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर तैयार न कर पटवारी हल्का द्वारा निर्मित की गई है जो राजस्व मंडल के विभाजन के आज्ञात्मक नियम 18 से 21 के विपरीत है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07.10.2010 को प्राथमिक डिक्री में शुमार किया जाकर शेष निर्णय जो कि कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, को खारिज योग्य पाया जाता है। इस कारण उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2010 में कुरैजात के आधार पर पारित अंतिम डिक्री को छोडकर शेष निर्णय प्राथमिक डिक्री की हद तक विधिक प्रक्रिया के अनुसरण अनुसार सही पारित किये जाने से, यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री जारी करते समय प्राथमिक निर्णय व अंतिम निर्णय के संबंध में त्रुटि कारित करते हुये एक ही डिक्री जारी कर दी गई थी जबकि दो अलग–अलग डिक्रीया वांछनीय है। न्यायालय हाजा द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री को खारिज फरमाया जाकर डिक्री की त्रुटि की दुरूस्ती हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण की पृथक से प्राथमिक डिक्री जारी करें।

5. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2010 को प्राथमिक डिक्री में शुमार किया जाकर शेष निर्णय जो कि कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, को खारिज किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को पत्रावली प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाद वादी विरूद्व प्रतिवादीगण की पृथक से प्राथमिक डिक्री जारी करें। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान की कुरैजात पर आपत्ति सुनकर, आपत्तियों का निस्तारण करते हुये अंतिम निर्णय डिक्री जारी करे। उभयपक्षकारान दिनांक 15.04.2020 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होवे। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रतिप्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जयपुर (राजस्थान)

Scanned with CamScanner